कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–900/2382 रायपुर, दिनांक 13/10/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)
एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

विषयः– **राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–30 (पुराना रा.रा.मार्ग–221) जगदलपुर–सुकमा–कोंटा मार्ग का उन्नयन कार्य का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को प्रेषित करने बाबत् ।**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/Other/ 145285/ 2021**

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर का पत्र क्रमांक /व.प्रा./त.अधि./2761 दिनांक 11.10.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–30 (पुराना रा.रा.मार्ग–221) जगदलपुर–सुकमा–कोंटा मार्ग का उन्नयन कार्य के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव 01 प्रति में प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत आनलाईन एवं ऑफलाईन त्रुटियां पाई गई है जो निम्नानुसार है :–

आनलाईन त्रुटियां:–

1. Form A Part – II में बिन्दु क्रमांक 13 (iii and iv) में Details of compensatory afforestation scheme (patch wise details) में के.एम.एल फाईल अपलोड नहीं है। अतएव ऑन लाईन के.एम.एल फाईल अपलोड़ कराना आवश्यक है।
2. आनलाईन आवेदन फार्म–A पार्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 13 (iii and iv) में प्रस्तावित क्षेत्र का जियो रिफरेंस एवं टोपोशीट मैप अपलोड किया गया है जिस पर आन लाईन सुधार आवश्यक है।
3. Form A Part – II में बिन्दु क्रमांक 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/ Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) में Details of compensatory afforestation scheme (patch wise details) में भाग–2 एवं भाग 3 निर्धारित प्रपत्र में अपलोड नहीं है।
4. Form A Part – II के अतिरिक्त जानकारी में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड नहीं है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट मय सी.डी. नहीं है।
6. कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया है, जिसे कलेक्टर कार्यालय द्वारा ऑन लाईन अपलोड़ कराना आवश्यक है।
7. प्रस्ताव में 1 प्रति में उपलब्ध कराया गया है, 2 और प्रतियों की आवश्यकता होगी ताकि एक प्रति राज्य शासन एवं एक प्रति भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके। इस प्रकार प्रस्ताव का 3 प्रतियां उपलब्ध करावें।

ऑफ लाईन त्रुटियां :–

1. कंडिका क्रमांक 07– भाग – 4 के बिन्दु क्रमांक – 01 के बिन्दु 6 एवं 7 में कुल लाभान्वित होने वाली आबादी एवं सुनिश्चित रोजगार में निरंक दर्शाया गया है जबकि संख्या दिया जाना है।
2. भाग 1 के बिन्दु क्रमांक V एवं VI में लागत लाभ विश्लेषण एवं रोजगार जिनके सृजित होने की संभावना है निरंक दर्शाया गया है। जबकि सृजित रोजगार की संख्या दर्शाया जाना है।
3. भाग – 2 संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है, में दिनांक एवं उप निदेशक का नाम अंकित नहीं है।
4. कंडिका–9 वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन पत्र नमुनार्थ संलग्न प्रेषित है। उस अनुसार वचन पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में लगावें।
5. कंडिका क्रमांक 13 में कास्ट वेनिफिट विश्लेषण संलग्न है लेख किया गया है परन्तु प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। चूंकि परियोजना 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तदानुसार चेक लिस्ट क्रमांक – 13 में सुधार किया जाना होगा।
6. कंडिका–16 अनुसार स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर का हस्ताक्षर नहीं है।
7. कंडिका 26 प्रपत्र–03 वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उप निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नाम नहीं लिखा गया है जो लिखा जावे।
8. भाग – 2 संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है– निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर का हस्ताक्षर है नाम नहीं लिखा गया है, नाम लिखा जावे।
9. चेक लिस्ट क्रमांक–35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर बस्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है, लेख किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है।

   अतः निम्नानुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें –

   "प्रकरण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर जिला बस्तर का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।"

उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति हेतु प्रकरण ई.डी.एस किया जा रहा है। कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में प्रेषित करे।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 01 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–900/ 2383 रायपुर, दिनांक 13 /10/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **निदेशक**, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर।
3. **वनमंडलाधिकारी**, सुकमा वनमंडल, बीजापुर, छत्तीसगढ़।
4. **कार्यपालन अभियंता**, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

- 409 -Letter Vividh 2022 (1).doc